



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 19.04.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ अवैध पिस्टल के साथ भ्रमण कर रहे अभियुक्त को थाना गिरवां पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध पिस्टल व जिन्दा कारतूस बरामद।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना गिरवां पुलिस द्वारा अवैध पिस्टल के साथ भ्रमण कर रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, अभियुक्त के कब्जे से अवैध पिस्टल बरामद हुआ है। गौरतलब हो कि आज दिनांक 19.04.2026 को थाना गिरवां पुलिस को गश्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान ग्राम स्योढ़ा से एक अभियुक्त को अवैध पिस्टल व जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना गिरवां पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को सम्बन्धित मा० न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी-

- 01 अवैध पिस्टल 32 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 32 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राज उर्फ राहुल पुत्र रामसिंह निवासी खानपुर थाना गिरवां जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु०अ०सं०- 128/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गिरवां जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री गौरव कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी माँ विन्ध्यवासिनी धाम
2. हे०कां० गोकुलेश कुमार मिश्रा
3. कां० संजय कुमार